



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं- 0151-2212046, ईमेल एड्रेस- comptroller@mgsbikaner.ac.in

क्रमांक :F-4 ()/मगसविबी/स्टोर/वि.टेंडर/2016/ 1472

दिनांक : 1-6-16

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मा/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रु.	निविदा शुल्क रु
1.	प्लास्टिक वून बैग्स क्रय	5.00	10,000/-	200/-
2.	कैंटीन संचालन	5.00	10,000/-	200/-
3.	विश्वविद्यालय में विभिन्न समारोहों हेतु भोजन/अल्पाहार व्यवस्था	3.00	6,000/-	200/-
4.	विश्वविद्यालय में फोटोस्टेट,स्पाईरल बाइंडिंग	3.00	6,000/-	200/-
5.	फोटोस्टेट,स्पाईरल बाइंडिंग एवं इन्टरनेट (छात्र सुविधा केंद्र)	1.50	3,000/-	200/-
6.	वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी	3.00	6,000/-	200/-
7.	विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी : (अ) टेंट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
	(ब) जेनरेटर व्यवस्था	1.50	3,000/-	200/-
	(स) माइक व्यवस्था	1.50	3,000/-	200/-
8.	विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का विक्रय	20.00	40,000/-	400/-
9.	विश्वविद्यालय में फ्लेक्स प्रिंटिंग व आपूर्ति	1.50	3,000/-	200/-

नोट : 1.बिना धरोहर राशि, सशर्त,अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित 18.02.16 को मध्याह्न 2:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में जमा की जायेगी एवं उसी दिन मध्याह्न 03:00 बजे निविदायें खोली जायेगी 3.अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4.निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgsbikaner.ac.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है , उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।

वित्त नियंत्रक



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग नं- 15, बीकानेर
फोननं- 0151-2212046, मोबाईल नं-9413278886, ईमेल एड्रेस- comptroller@mgsbikaner.ac.in

निविदा-पत्र

कार्य का नाम-	प्लास्टिक वून बैग्स कय	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	18.02.16 मध्यान्ह 02:00 बजे तक
निविदा कमांक-	दिनांक:		
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	रु. 5,00,000/- रु. 10,000/- रु. 200/-	निविदा खोलने की तिथि	18.02.16 मध्यान्ह 03:00 बजे

- विषय- वर्ष 2016 के लिये प्लास्टिक वून बैग्स कय करने हेतु निविदा।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूर्ण पता
.....
दूरभाष संख्या:..... ऑफिस/ दुकान
घर पेन नम्बर
- सन्दर्भ- निविदा सूचना संख्यादिनांक
- निविदा शुल्क की राशि रूपए (अखरे रूपए) जमा करा दी गयी।
डिमाण्ड ड्राफ्ट/ रोकड़ रसीद संख्या दिनांक
- निविदा सूचना संख्या दिनांक जो महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के द्वारा जारी की गयी है, में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न प्रपत्र में दी गयी हैं (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
- आपूर्ति आदेश में वर्णित सामग्री की आपूर्ति 20 दिन में करनी होगी।
- निविदा में दी गयी दरें निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी जो कि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। सफल निविदादाता (जिसकी निविदा दरें स्वीकार करली गयी हो) की दरें अनुबंध अवधि से माल आपूर्ति एवं भुगतान तक वैध होगी, जिसके अन्तर्गत कार्यालय वांछित आपूर्ति हेतु आदेश दे सकेगा।
- धरोहर राशि हेतु वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में रूपए (अखरे रूपए) ड्राफ्ट/ रसीद संख्या दिनांक के द्वारा राशि जमा करा दी है।
- संबंधित बिक्री कर/ वाणिज्यिक कर-अधिकारी से टिन नम्बर रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संख्या एवं/ प्रमाण-पत्र इसके साथ प्रस्तुत हैं।

- 10 आपूर्ति किए गए माल की गुणवत्ता स्थिर रहने की अवधि ----- माह होगी।
- 11 आपूर्ति की जाने वाली सामग्री को प्रति बण्डल 50 बैग्स का ही स्वीकार किया जावेगा। समस्त आपूर्ति एक साथ एवं कार्यालय समय में प्रातः 11:00 से सांय 03:00 बजे के मध्य ही भण्डार अनुभाग में स्वीकार की जावेगी।
- 12 बैग्स का नमूना निविदा के साथ ही संलग्न कर श्रीमान वित्त नियंत्रक के कक्ष में निर्धारित समय में जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

उपाबन्ध "ख"

फर्म का नाम

क्र.सं.	सामग्री का नाम	स्पेसिफिकेशन	वजन प्रति प्लास्टिक वूवन बैग (न्यूनतम)	दरें प्रतिनग (समस्त कर सहित अंकों में, शब्दों में)
1	पॉलीप्रोपलीन वूवन प्लास्टिक बैग	साईज 36"x 24"x12" एवं बॉटम साईज 12"x12"	135 ग्राम	
2	पॉलीप्रोपलीन वूवन प्लास्टिक बैग	साईज 21"x 15"	45 ग्राम	

नोट:-


प्लास्टिक वूवन बैग की सिलाई इंटरलॉकिंग सिल्क के धागे से होगी तथा दोहरी सिलाई मजबूत एवं मोटे अच्छी किस्म के सिल्क के धागे से करना आवश्यक है।

घोषणा

उपरोक्त समस्त दरें मैंने/हमने निविदा शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन कर ध्यानपूर्वक भरी है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि विश्वविद्यालय का निर्णय हमारे लिये सर्वोपरी होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में उक्त व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी जानकारी आदि उपलब्ध है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या इनके अधीन किसी बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

दिनांक
स्थान
संलग्न

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय रबर सील





महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग नं- 15, बीकानेर

फोननं- 0151-2212046, मोबाईल नं-9413278886, ईमेल एड्रेस- comptroller@mgsbikaner.ac.in

निविदा एवं संविदा की शर्तें

निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18.02.16 समय मध्याह्न 02:00 बजे तक

खोलने की तिथि 18.02.16 समय मध्याह्न 03:00 बजे

टिप्पणी- निविदादाता को निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

1 निविदा भरना एवं दरों का अंकन-

- (i) कोटेशन, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथाचित रूप से बंद लिफाफे में मुहरबंद करके दिनांक 18.02.16 को मध्याह्न 02:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (ii) (क) दरों की ईकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंकों के साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए। अंकों तथा शब्दों में लिखी दरों में अंतर होने पर कम राशि वाली दर मान्य होगी।
(ख) दरें समस्त प्रकार के देय करों को सम्मिलित करके दी जानी चाहिए अर्थात् आपूर्ति अवधि में देय तथा/अथवा लागू किये गये किसी भी प्रकार के कर अथवा इसमें की गयी अभिवृद्धि का पृथक् से भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (iii) निविदा में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन नहीं किया जाना चाहिए। शुद्धियाँ, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- (iv) निविदा उन फर्मों/व्यापारियों द्वारा ही दी जानी चाहिए जो या तो उन वस्तुओं सामान/साज-सज्जा/मशीनों आदि के लिए रजिस्टर्ड / अनुमोदित प्रदायक हो या उनके द्वारा, जो उस सामान का, जिसके लिये निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हों।
- (v) अनुमोदित प्रदायक के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले सामान संबंधी शर्तें विस्तृत आकार और रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उनको इन शर्तों या विस्तृत विवरण लेखा चित्रों आदि के अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रमारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिए एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।
- (vi) निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो अन्य ऐजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
- (vii) (क) केता अधिकारी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उचित प्रदायक के भू-गृहादि (प्रेमिसेस) में जा सकेगा और सब उचित समयों पर सामान की यथा वस्तुओं की बनावट की जाँच और परीक्षा करने के लिए सक्षम होगा।
(ख) निविदादाता को अपने कार्यालय/ गोदाम तथा वर्कशॉप के भू-गृहादि का पूरा पता निश्चित रूप से देना चाहिए जहाँ जाकर भौतिक निरीक्षण किया जा सके और उस व्यक्ति का नाम और पता भी अवश्य देगा, जिससे इस कार्य हेतु उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- (viii) समस्त उत्कथित दरें एफ0ओ0आर0 विश्वविद्यालय भण्डार कार्यालय होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होना चाहिए। स्थानीय प्रदायकों के मामलों में भी दरों में समस्त कर शामिल होना चाहिए तथा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा। दरों की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। सफल निविदादाता की दरें अनुबंध अवधि से माल आपूर्ति एवं भुगतान तक वैध रहेगी।
- (ix) निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली संयाचना के कारण निविदा अमान्य की जा सकती है।


- (x) निविदाकार निविदा के साथ टिन नम्बर रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की संख्या तथा संबंधित बिक्री कर/वाणिज्यिक कर अधिकारी का बिक्रीकर शोधन प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

2 धरोहर राशि:-

- (i) निविदा के साथ धरोहर राशि के 10,000/- रूपए नकद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।
- (ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यापित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय सामग्री मूल्य की पाँच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (iii) राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण-पत्र, क्षमता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि ली जाएगी तथा आदेशित मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।
- (iv) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

3 निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि:-

- (i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम दर की निविदा हो।
- (ii) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की ईच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।
- (iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चों पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी:-
1. उपाबन्ध "घ" संलग्न किया जाना है, जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के ₹ 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
 2. संविदा के यथावत क्रियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा तीन दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को शर्त संख्या 2 के (iii) में वर्णित सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
- (iv) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।



- (v) प्रतिभूति राशि बिलों का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने एवं संविदा की कार्यवधि पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
- (vi) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्ज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

4 आपूर्ति एवं दण्ड:-

- (1) प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान उसके लिए निर्धारित विस्तृत विवरण व्यापार चिह्न अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत/ प्रमाणित नमूनों से पूरी-पूरी तरह मेल खाती हुई होनी चाहिए और किसी ऐसी सामग्री के मामले में जिसके लिए कोई प्रमाणित या स्वीकृत नमूने नहीं है, सामान का प्रदान भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ किस्म का होना चाहिए। सामान की किस्म के संबंध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम तथा निविदादाताओं के लिए मान्य होगा। प्रदान की गयी किन्ही ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जाए और जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाए या बदलवायी जाए और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों के अस्वीकृति अथवा बदले जाने के कारण कोई व्यय होगा या प्रदायकों को कोई हानि हो तो पूर्ण रूप से निविदादाता के जिम्मे होगी। संविदा की शर्तों के अनुसार पूर्ण मात्रा सप्लाई नहीं करने तथा आंशिक सप्लाई नहीं करने की स्थिति में निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि प्रतिभूति राशि सामान्य वित्तीय लेखा नियम भाग द्वितीय के नियम 57 (6) के अनुसार जब्त करली जाएगी व शर्त संख्या 4 (6) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (2) यदि अनुमोदित किस्म में साईज या परिमाण के अलावा सामग्री का अन्यथा प्रदाय होता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा प्रदायक को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य को निश्चित समय के भीतर बदलना होगा। यदि सामग्री का मूल्य यथोचित रूप से कम कर दिया जाएगा तो क्रेता अधिकारी द्वारा नियत किए गए मूल्य अंतिम होंगे। आपूर्ति किए गए माल की गुणवत्ता निविदा पत्र में अंकित समय तक स्थिर रहनी चाहिए। गुणवत्ता में कमी आने पर आवश्यक शास्ति आरोपित की जावेगी।
- (3) निविदादाता सामान तथा सामान के नमूनों के ठीक ठीक पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा ताकि सामान प्राप्तकर्ता को उसके स्थान पर अच्छी दशा में नमूने के अनुसार सामान की सुपुर्दगी मिल सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा जाँच हेतु सामान की निरीक्षण करते समय जो कोई भी हानि या कमी, को पूरा करने के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा, इसके लिए अतिरिक्त मूल्य अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (4) समस्त उत्कथित दरें एफओआर विश्वविद्यालय भण्डार कार्यालय होनी चाहिए और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिए। स्थानीय प्रदायकों के मामले में भी दरों में समस्त कर शामिल होना चाहिए तथा महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा कोई गाड़ी भत्ता या परिवहन व्यय नहीं दिया जाएगा। दरों की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी। सफल निविदाकार की दरें अनुबंध की अवधि से एक वर्ष तक वैध रहेगी।
- (5) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की गयी है, क्रय आदेश की तारीख से बीस दिन की अवधि के भीतर आपूर्ति एक साथ करनी होगी। वस्तुओं के प्रदाय की व्यवस्था विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार करनी होगी।
- (6) यदि निविदादाता सामान की सप्लाई निर्धारित स्पेशिफिकेशन तथा /अथवा अनुमोदित नमूनों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी न कर पाए तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह निविदादाता को सूचना दिए बिना निविदादाता के हिसाब से तथा उसकी जोखिम पर यह माल या उसका कोई भाग जो निविदादाता सप्लाई न कर पाया हो और कहीं से खरीद ले या यदि



माल उपलब्ध न हो तो उस माल के बदले में सबसे अच्छा या पास में उपलब्ध होने वाला कोई माल खरीद ले या संविदा को रद्द कर दे तथा निविदादाता क्रेता अधिकारी को निविदादाता द्वारा विफल करने के कारण होने वाली हानि के नुकसान का दायी होगा, परन्तु निविदादाता व्यक्तिगत रूप से फलस्वरूप किए गए क्य पर होने वाले लाभ का हकदार नहीं होगा। ऐसी हानि या नुकसान की वसूली इस संविदा या किसी अन्य संविदा के अधीन देय राशि में से वसूल करली जाएगी।

(7) कार्यदेश की तारीख से कुल 20 दिवस की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी जावेगी:-

यदि निविदादाता, निविदा प्रारूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर माल की सुपुर्दगी न कर पाए तो क्य अधिकारी अपने विवेकानुसार माल की सुपुर्दगी की अवधि निविदाकार से करारनुमा परिनिर्धारित नुकसानी जो शास्ति नहीं होगी की वसूली के अध्यक्षीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली उस सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि के बराबर निम्नानुसार बतलायी गई देरी (विलम्ब) के लिये होगी:-

- (i) निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि की 1/4 कालावधि की देरी के लिए 2.5%
- (ii) 1/4 से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि के 1/2 से अनाधिक 5%
- (iii) 1/2 से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि के 3/4 से अनाधिक 7.5%
- (iv) 3/4 से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि के बराबर की कालावधि से अनाधिक 10%

टिप्पणी:-

- 1 सप्लाई में हुई देरी की कालावधि की संगणना करते समय एक दिन की भिन्नता को नहीं गिना जायेगा, यदि वह 1/2 दिन से कम है।
- 2 परिनिर्धारित नुकसानों की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- 3 यदि प्रदायक कोई भी बाधा उत्पन्न होने के कारण संविदात्मक प्रदाय पूर्ण करने का समय बढ़ाने की अपेक्षा करें, तो वह इसके लिये उस प्राधिकारी को, जिसने प्रदाय को आदेश दिया है, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा, लेकिन प्रदाय पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के पश्चात् नहीं, किन्तु प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

5 भुगतान प्रक्रिया

- 1 प्रदायक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले माल का भुगतान कयादेश निविदा व करार की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
- 2 प्रस्तुत बिल में से VAT की राशि जोड़कर भुगतान किया जायेगा। VAT की राशि नियमानुसार जमा करने का उत्तरदायित्व सम्बंधित फर्म का ही होगा।

6 अन्य शर्त:-

- 1 समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े, तो राजस्थान में बीकानेर स्थित न्यायालयों में ही कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करनी होगी, किसी अन्य स्थान पर नहीं।
- 2 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में यदि निविदा दरें लागू रहने तक की अवधि में किसी भी समय किसी प्रकार की किसी सामग्री के बाजार मूल्य (मार्केट प्राईस) में कमी हो जाती है तो निविदादाता इसकी अविलम्ब सूचना विश्वविद्यालय को देगा अथवा विश्वविद्यालय को अन्य विश्वसनीय स्रोतों से किसी प्रकार रेट्स घटाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदादाता को इसकी सूचना दी जावेगी एवं निविदादाता तदनुसार कम दरों पर सामग्री प्रदान करने के लिये बाध्य होगा और भुगतान भी कम दरों पर ही किया जावेगा। किन्तु बाजार मूल्य में बढ़ोतरी का कोई लाभ निविदादाता को नहीं दिया जावेगा।
- 3 किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।



- 4 इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- 5 फर्म द्वारा समस्त सामान की दरें सभी कर सहित दें।
- 6 निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
- 7 अनुभव प्रमाण हेतु किये गये कार्यों की कार्यादेश प्रतियाँ संलग्न करें।
- 8 क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधिक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वित्त नियंत्रक

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उक्त सभी शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं इन शर्तों की पालना की सहमति स्वरूप इसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया है।

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय सील